

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 00561/2024-2025

दिनांक 15/07/2024



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/ALL/04346/2024-2025

पत्रावली संख्या: AL-35242

दिनांक: 2014-2015

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि शिवानी सेवा शिक्षा समिति, पीपलगाँव, प्रयागराज, 211012 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 258/2014-15 दिनांक-19/06/2014 को दिनांक-19/06/2024 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1100 रूपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By
(Kaushalendra Singh)

015D6594289302E6826236A2FFED5869544EBF82

Date: 15/07/2024 6:35:07 PM, Location: Prayagraj.

जारी करने का दिनांक-15/07/2024

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

:: नोट ::

यह नवीनीकरण प्रमाणपत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में ही मान्य हैं। इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदक, प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य संबद्ध/असंबद्ध व्यक्तिके किसी दावे, अधिकार, अनुतोष अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नहीं है। इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा।

:: स्मृति पत्र ::

संस्था का नाम : शिवानी सेवा शिक्षा समिति
संस्था का नाम : पीपलगाँव, इलाहाबाद
संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
संस्था के उद्देश्य :

1. भारतीय जनमानस में हर क्षेत्र में उन्नयन हेतु प्रयास करना एवं सामाजिक आध्यात्मिक नैतिक बौद्धिक ग्रामोद्योगिक उन्नति का प्रयास करना। —
2. शिक्षा के विकास हेतु प्राईमरी विद्यालय से हाईस्कूल इण्टरमीडिएट स्नातक/ परास्नातक बालिका विद्यालय खोलना और कृषि इलेक्ट्रानिक सांस्कृतिक/ लोककला संस्कृति के शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलना व निःशुल्क संचालन करना। —
3. जन साधारण के स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु चिकित्सालय तथा चिकित्सा शिक्षा की सुविधा करना। —
4. निःशुल्क स्वास्थ्य एवं सफाई की सुविधाएं जन साधारण को उपलब्ध करना। निःशुल्क परिवार कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण, टीकाकरण, स्वास्थ्य रक्षा, आदि कार्यक्रमों का संचालन करना तथा जन साधारण में जागरूकता फैलाना गम्भीर बीमारियों, जैसे एडस, कैंसर, चेचक, पोलियो, निर्जलन मलेरिया, चेचक, प्लेग, आदि उन्मूलन के उपायों को राज्य केन्द्र को सुझाना एवं मान्यता प्राप्त चिकित्सकों की सहायता करना। इनसे सम्बन्धित स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का संचालन करना। रक्तदान, नेत्रदान, टीकाकरण तथा नसबन्दी शिविरो का निःशुल्क आयोजन प्रशिक्षित डाक्टरों की देखरेख में करना। —
5. महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु निराश्रित महिला कल्याण केन्द्रों, नारी निकेतनों, शिल्प कला केन्द्रों, सिलाई -कढ़ाई, कताई -बुनाई, हेयर एण्ड स्किन केयर, फैशन डिजाइनिंग, कम्प्यूटर व टंकण प्रशिक्षण, नृत्य एवं गायन आदि के शिक्षण केन्द्रों को खोलना तथा संचालित करना। —
6. वैज्ञानिक विधि द्वारा कृषि करने के लिए जागरूक करना व उनके आय को बढ़ाने के सार्थक प्रयास कर जीवन स्तर में सुधार करना व सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार- प्रसार करना तथा सब्जी फलोत्पादन का निःशुल्क प्रशिक्षण, कृषि प्रबन्धन एवं अनुसंधान कार्य करना तथा प्रशिक्षण देना। —
7. महिला पुरुष समानता, महिला सशक्तीकरण, महिला शोषण, उन्मूलन, दहेज निवारण तथा आत्म निर्भर बनाने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन, बाल व्यायामशाला, बाल कौशल कार्यशाला, बाल स्वास्थ्य पोषण, सतीप्रथा पर रोक लगाने का प्रयास करना। शिविर, कार्यशालाओं का आयोजन एवं संचालन करना। —
8. भारतीय परम्परागत चिकित्सा एवं आयुर्वेद को प्रभावशाली बनाने हेतु नगरीय एवं ग्रामीण इलाकों में निःशुल्क चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र स्थापित एवं संचालित करना। —
9. भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का कियान्वयन करना, वैकल्पिक उर्जा स्रोतों, प्रेट्रोलियम क्लब, सड़क, पंचायती राज, रेलवे/

Jawahar N. J. Vidyalaya

Principal

PRINCIPAL

Lord Buddha National Public School
Sara Bika, Jaunpur

Manager
Lord Buddha National Public School
Sara Bika, Jaunpur

बोर्ड/रेल मंत्रालय, सामाजिक कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कपार्ट इत्यादि केन्द्र/राज्य के मंत्रालयों तथा उनसे सम्बन्धित विभागों के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना। राज्य/केन्द्र सरकार तथा उनके विभागों/अनुभागों द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए सेतु का कार्य करना इसके लिए केन्द्र/राज्य से दान-अनुदान तथा ऋण प्राप्त करना। —

9. आधुनिक शिक्षा सम्बन्धित रोजगार कार्यक्रम आज के आधुनिकतम विषय कम्प्यूटर हार्डवेयर और साफ्टवेयर टेकनोलाजी, खेल कूद, व्यक्तित्व विकास, शिल्पकारिता, कम्प्यूनिकेशन आदि विषयों के शिक्षण व प्रशिक्षण एवं शोध कार्य करने हेतु विद्यालय की स्थापना व संचालन। —
10. डेकेयर केन्द्रों की स्थापना, समाज के निराश्रित वृद्धों, महिलाओं एवं बच्चों विशेषयता निर्बल एवं पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित लोगों के लिए 'डे केयर सेण्टर', कल्याण केन्द्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भूले भटके शिविरों, आदि का आयोजन, संचालन व प्रचार प्रसार करना। —
11. योग व प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व के सम्बन्ध में जन मानस में जागृति पैदा करना एवं स्वस्थ रहने हेतु योग व प्राकृतिक चिकित्सा अपनाने हेतु योग व प्राकृतिक चिकित्सक के माध्यम से निरोस रहने हेतु जागरूकता देना। —
12. जीव-जन्तुओं के कल्याण हेतु गोशाला की व्यवस्था करना, बीमार असहाय व बेसहारा पशु पक्षियों हेतु चारा की व्यवस्था करना। —
13. पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी संतुलन बनाये रखने से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन तथा इससे संबन्धित जन जागरण एवं जन सहभागिता को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जल संरक्षण, वन संरक्षण, एवं भूमि संरक्षण संबंधी कार्यों का निष्पादन, वृक्षारोपण आदि। —
14. मत्स्य पालन, मधु पालन, कुकूट, जीव जन्तु संरक्षण गोपालन स्थापना करना तथा कृषि व वानिकी ज्वलन्त समस्याओं को जैसे भूमिरक्षण किटों के कुष्रभाव बाढ़ व सूखा को नियंत्रित करना एवं बंजर भूमि पहाड़ी क्षेत्र को समतल कर कृषि योग्य बनाने का प्रयास करना —
15. एकीकृत ग्राम्य विकास, ग्राम्य तकनीकी विकास, त्वरित ग्राम्य पेयजल आपूर्ति, अनुसूचित जाति/जनजाति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों के कल्याण कार्यक्रमों, बंधुआ मजदूरों का अवमुक्तीकरण एवं पुनर्वास, बाल श्रमिकों के प्रशिक्षण, पुनर्वास, शिक्षा एवं भोजन आदि की निःशुल्क व्यवस्था करना। —
16. अन्य वे सभी कार्य करना जो सोसाइटीज एक्ट की धारा 20 के अन्तर्गत मान्य हों।

PRINCIPAL

Lord Buddha National Public School
Sara Bika, Jaunpur

Manager

Lord Buddha National Public School
Sara Bika, Jaunpur

5. संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारीयों व सदस्यों के नाम/पिता/पति का नाम, पते तथा व्यवसाय जिनको संस्था के नियमावली के अनुसार संस्था का कार्य भार सौंपा गया है।

क्र० सं०	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री हरी प्रसाद दुबे पुत्र श्री राम प्रताप दुबे	मनीपट्टी सोगरा पो० सरायबीका मछलीशहर जौनपुर	अध्यक्ष	कृषि
2	श्री छंगू लाल पुत्र स्व० नन्हकू	ग्राम व पोस्ट शहा उर्फ पीपलगाँव सदर, इलाहाबाद	उपाध्यक्ष	कृषि
3	श्री जय प्रकाश दुबे पुत्र श्री हरि प्रसाद दुबे	ग्रा० व पो० शहा उर्फ पीपलगाँव सदर, इलाहाबाद	प्रबन्धक	व्यापार
4	श्रीमती मीरा दुबे पत्नी श्री जय प्रकाश दुबे	ग्रा० व पो० शहा उर्फ पीपलगाँव सदर, इलाहाबाद	उपप्रबन्धक	गृहणी
5	श्री विनय कुमार दुबे पुत्र श्री राम दवर दुबे	ग्रा० व पो० शहा उर्फ पीपलगाँव सदर, इलाहाबाद	कोषाध्यक्ष	व्यापार
6	श्री किशन लाल पुत्र श्री मिठाई लाल	ग्रा० व पो० शहा उर्फ पीपलगाँव सदर, इलाहाबाद	सदस्य	व्यापार
7	श्री माता प्रसाद दुबे पुत्र स्व० कमला शंकर दुबे	ग्रा० सोगरा मनीपट्टी पो० सरायबीका मछली शहर जौनपुर	सदस्य	शिक्षक व

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता उपरोक्त स्मृति पत्र के अनुसार संस्था को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 21 सन् 1860 के अर्न्तगत का गठन किया है।

- | | |
|--|--|
| 1 श्री हरी प्रसाद दुबे
पुत्र श्री राम प्रताप दुबे | मनीपट्टी सोगरा पो० सरायबीका
मछलीशहर जौनपुर |
| 2 श्री छंगू लाल
पुत्र स्व० नन्हकू | ग्राम व पोस्ट शहा उर्फ
पीपलगाँव सदर, इलाहाबाद |
| 3 श्री जय प्रकाश दुबे
पुत्र श्री हरि प्रसाद दुबे | ग्रा० व पो० शहा उर्फ पीपलगाँव
सदर, इलाहाबाद |
| 4 श्रीमती मीरा दुबे
पत्नी श्री जय प्रकाश दुबे | ग्रा० व पो० शहा उर्फ पीपलगाँव
सदर, इलाहाबाद |
| 5 श्री विनय कुमार दुबे
पुत्र श्री राम दवर दुबे | ग्रा० व पो० शहा उर्फ पीपलगाँव
सदर, इलाहाबाद |
| 6 श्री किशन लाल
पुत्र श्री मिठाई लाल | ग्रा० व पो० शहा उर्फ पीपलगाँव
सदर, इलाहाबाद |
| 7 श्री माता प्रसाद दुबे
पुत्र स्व० कमला शंकर दुबे | ग्रा० सोगरा मनीपट्टी पो० सरायबीका
मछली शहर जौनपुर |

हस्ताक्षर

श्री हरी प्रसाद दुबे

श्री छंगू लाल

श्री जय प्रकाश दुबे

श्रीमती मीरा दुबे

श्री विनय कुमार दुबे

श्री किशन लाल

श्री माता प्रसाद दुबे

दिनांक 12-5-14

PRINCIPAL

Lord Buddha National Public School
Sarai Bika, Jaunpur

Jawahar Vidyalaya
Tel. 2265121
Uttar Pradesh-22637

Principal

केन्द्रीय विद्यालय
Kendhya Vidyalaya

श्री. आर. पी. ए. इलाहाबाद

Manager

Lord Buddha National Public School
Sarai Bika, Jaunpur

:: नियमावली ::

1. संस्था का नाम : शिवानी सेवा शिक्षा समिति
2. संस्था का पता : पीपलगाँव, इलाहाबाद
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था के उद्देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार
5. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :-

(अ) आजीवन सदस्य

संस्था को 1,001/रु0 नगद या इससे अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति दान स्वरूप प्रदान करने वालों को आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

(ब) सामान्य सदस्य :

संस्था को प्रतिवर्ष अप्रैल माह में 501/-रु0 वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करने वालों को संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

6. सदस्यता की समाप्ति :

1. मृत्यु होने पर, पागल होने पर, दिवालिया होने पर ।
2. किसी न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर ।
3. लगातार तीन बैठकों में बिना स्पष्ट कारण अनुपस्थिति रहने पर,
4. त्याग पत्र देने पर तथा स्वीकार होने पर।
5. अविश्वास प्रस्ताव पारित होने, पर।
6. सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।

7. संस्था के अंग : संस्था के दो अंग होंगे,

- (अ) साधारण सभा (ब) प्रबन्धकारिणी समिति

8. साधारण सभा :

(अ) गठन :

साधारण सभा का गठन संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

(ब) बैठकें :

साधारण सभा की सामान्य बैठके वर्ष में एक व विशेष बैठको को आवश्यकता अनुसार कभी भी बुलायी जा सकती है।

(सि) सूचना अवधि :

सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व में सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

(द) गणपूर्ति :

साधारण सभा की सभी प्रकार की बैठकों का कोरम 2/3 होगा स्थगित बैठकों में कोरम प्रतिबन्ध न होगा, लेकिन एजेन्डा के विषय पूर्ववत ही रहेंगे।

(य) विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :

विशेष वार्षिक अधिवेशन सत्र समाप्ति पर व तिथि प्रबन्धसमिति द्वारा तय की जायेगी।

Principal
Lord Buddha National Public School
Sarai Bika, Jaunpur

Principal
Lord Buddha National Public School
Sarai Bika, Jaunpur

(र) साधारण सभा के कर्तव्य :

- (1) पाँच वर्ष के लिए प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।
- (2) वार्षिक आय व्यय-वजट का पारित करना।

9. प्रबन्धकारिणी समिति :

(अ) गठन :

प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा किया जाएगा। जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एक प्रबन्धक एक उपप्रबन्धक, एक कोषाध्यक्ष, तथा 02 सदस्य इस प्रकार कुल 07 व्यक्तियों की प्रबन्धकारिणी समिति होगी।

(ब) बैठके :

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकें वर्ष में दो व विशेष बैठको को आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाया जा सकता है।

(स) सूचना अवधि :

सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व में सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

(द) गणपूर्ति :

साधारण सभा की सभी प्रकार की बैठकों का कोरम 2/3 होगा स्थायी बैठकों में कोरम प्रतिबन्ध न होगा, लेकिन एजेन्डा के विषय पूर्ववत रहेंगे।

(य) रिक्त स्थानों की पूर्ति :

प्रबन्धकारिणी समिति में यदि किसी प्रकार का स्थान रिक्त हो जाता है तो उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 बहुमत से शेष कार्य के लिये कर ली जाएगी।

(र) प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :

- (1) संस्था का प्रबन्ध कार्य करना।
- (2) वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार कर लागू करना।
- (3) वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित करना।
- (4) संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर नियंत्रण रखना।
- (5) उप समितियों के उपनियमों को बनाना व पदाधिकारियों को नियुक्त करना।

(ल) कार्यकाल :

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा

10. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

(अ) अध्यक्ष :

- (1) सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
- (2) समान मत होने पर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना।
- (3) बैठकों की तिथियों का अनुमोदन करना।
- (4) त्याग पत्रों को स्वीकार करना।

(ब) उपाध्यक्ष :

अध्यक्ष की अनुपस्थिति व उनके निर्देश में उसके सम्पूर्ण कार्य करना।

(स) प्रबन्धक :

- (1) संस्था के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करना।
- (2) संस्था की ओर से समस्त बिलों, बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।

PRINCIPAL

Lord Buddha National Public School
Sara Bika, Jaunpur

28/11/15
कि 9/8

Principal
Sara Bika, Jaunpur
Lord Buddha National Public School

- (3) संस्था की ओर से समस्त कानूनी कार्यवाही का संचालन करना।
- (4) उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण, अनुदान, चन्दा, दान चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।
- (5) प्रबन्धसमिति द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना।
- (6) संस्था की चल व अचल सम्पत्ति पर नियंत्रण करना, समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना।
- (7) संस्था के विकास हेतु सरकारी विभागों एवं अन्य संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना।
- (8) सभी प्रकार की कार्यवाहियों का संचालन करना व लिपिबद्ध करना।
- (9) कर्मचारियों का नियुक्ति, निस्कासन, वेतन वृद्धि करना।

(द) उपप्रबन्धक :

प्रबन्धक/सचिव की अनुपस्थिति व उनके निर्देश में उसके सम्पूर्ण कार्य करना।

(य) कोषाध्यक्ष:

- (1) वार्षिक आय व्यय का विवरण तैयार करना।
- (2) आय-व्यय सम्बन्धी अभिलेखों को लिपिबद्ध करना।
- (3) सदस्यों से सदस्यता शुल्क प्राप्त कर रसीद देना।

11. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से किया जायेगा।

12. संस्था का कोष :

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त बैंक, डाकघर में संस्था के नाम खाता खोलकर जमा होगा जिसका संचालन प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

13. संस्था लेखा परीक्षण :

संस्था के समस्त आय-व्यय को लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र की समाप्ति पर संस्था द्वारा नियुक्त किसी योग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व :

संस्था की अदालती कार्यवाही का संचालन संस्था के प्रबन्धक/सचिव या उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

15. संस्था के अभिलेख :

1. सदस्यता रजिस्टर,
2. कार्यवाही रजिस्टर,
3. एजेण्डा रजिस्टर,
4. कैशबुक व लेजर

16. विघटन :

संस्था के विघटन और विघटित विवादित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा, 13 एवं 14 के अन्तर्गत ही की जायेगी।

(सत्य प्रतिलिपि)

दिनांक 12-5-2015

PRINCIPAL

Lord Buddha National Public School

Sarai Bika, Jaipur

Principal

हस्ताक्षर

Kendriya

सी.आर.पी.ए. संस्था

GRS

Manager

Lord Buddha National Public School
Sarai Bika, Jaipur

: : संशोधित नियमावली : :

1. संस्था का नाम : शिवानी सेवा शिक्षा समिति
2. संस्था का पता : पीपलगाँव, इलाहाबाद
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था के उद्देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार
5. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :-

(अ) आजीवन सदस्य

संस्था को 1,001/रु0 नगद या इससे अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति दान स्वरूप प्रदान करने वालों को आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

(ब) सामान्य सदस्य :

संस्था को प्रतिवर्ष अप्रैल माह में 501/-रु0 वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करने वालों को संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

6. सदस्यता की समाप्ति :

1. मृत्यु होने पर, पागल होने पर, दिवालिया होने पर ।
2. किसी न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर ।
3. लगातार तीन बैठकों में बिना स्पष्ट कारण अनुपस्थिति रहने पर,
4. त्याग पत्र देने पर तथा स्वीकार होने पर।
5. अविश्वास प्रस्ताव पारित होने, पर।
6. सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।

7. संस्था के अंग : संस्था के दो अंग होंगे,

- (अ) साधारण सभा (ब) प्रबन्धकारिणी समिति

8. साधारण सभा :

(अ) गठन :

साधारण सभा का गठन संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

(ब) बैठकें :

साधारण सभा की सामान्य बैठके वर्ष में एक व विशेष बैठको को आवश्यकता अनुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना अवधि :

सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व में सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

(द) गणपूर्ति :

साधारण सभा की सभी प्रकार की बैठकों का कोरम 2/3 होगा स्थगित बैठकों में कोरम प्रतिबन्ध न होगा, लेकिन एजेन्डा के विषय पूर्ववत ही रहेंगे।

(य) विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :

विशेष वार्षिक अधिवेशन सत्र समाप्ति पर व विशेष प्रबन्धसमिति द्वारा तय

PRINCIPAL जायेगी।

Lord Buddha National Public School
Sarai Bika, Jaunpur

Principal

केन्द्रीय विद्यालय

Kendriya Vidyalaya

संस्कृत, पीपलगाँव, इलाहाबाद

DIR-5, Allahabad

Manager

Lord Buddha National Public School
Sutaria, Jaunpur

(र) साधारण समा के कर्तव्य :

- (1) पाँच वर्ष के लिए प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।
- (2) वार्षिक आय व्यय-वजट का पारित करना।

9. प्रबन्धकारिणी समिति :

(अ) गठन :

प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण समा द्वारा किया जाएगा। जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एक प्रबन्धक एक उपप्रबन्धक, एक कोषाध्यक्ष, तथा 02 सदस्य इस प्रकार कुल 07 व्यक्तियों की प्रबन्धकारिणी समिति होगी।

(ब) बैठके :

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकें वर्ष में दो व विशेष बैठको को आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाया जा सकता है।

(स) सूचना अवधि :

सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व में सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

(द) गणपूर्ति :

साधारण समा की सभी प्रकार की बैठकों का कोरम 2/3 होगा स्थगित बैठकों में कोरम प्रतिबन्ध न होगा, लेकिन एजेन्डा के विषय पूर्ववत रहेंगे।

(य) रिक्त स्थानों की पूर्ति :

प्रबन्धकारिणी समिति में यदि किसी प्रकार का स्थान रिक्त हो जाता है तो उसकी पूर्ति साधारण समा के 2/3 बहुमत से शेष कार्य के लिये कर ली जाएगी।

(र) प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :

- (1) संस्था का प्रबन्ध कार्य करना।
- (2) वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार कर लागू करना।
- (3) वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित करना।
- (4) संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर नियंत्रण रखना।
- (5) उप समितियों के उपनियमों को बनाना व पदाधिकारियों को नियुक्त करना।

(स) कार्यकाल :

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा

10. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

(अ) अध्यक्ष :

- (1) सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
- (2) समान मत होने पर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना।
- (3) बैठकों की तिथियों का अनुमोदन करना।
- (4) त्याग पत्रों को स्वीकार करना।

(ब) उपाध्यक्ष :

अध्यक्ष की अनुपस्थिति व उनके निर्देश में उसके सम्पूर्ण कार्य करना।

(स) प्रबन्धक :

(1) संस्था के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करना।

(2) संस्था की ओर से समस्त बिलों का उचराने पर हस्ताक्षर करना।

- (3) संस्था की ओर से समस्त कानूनी कार्यवाही का संचालन करना।
- (4) उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण, अनुदान, चन्दा, दान चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।
- (5) प्रबन्धसमिति द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना।
- (6) संस्था की चल व अचल सम्पत्ति पर नियंत्रण करना, समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना
- (7) संस्था के विकास हेतु सरकारी विभागों एवं अन्य संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना।
- (8) सभी प्रकार की कार्यवाहियों का संचालन करना व लिपिबद्ध करना
- (9) कर्मचारियों का नियुक्ति, निस्कासन, वेतन वृद्धि करना।

(द) उपप्रबन्धक :

प्रबन्धक/सचिव की अनुपस्थिति व उनके निर्देश में उसके सम्पूर्ण कार्य व

(य) कोषाध्यक्ष:

- (1) वार्षिक आरा व्यय का विवरण तैयार करना।
- (2) आय-व्यय सम्बन्धी अभिलेखों को लिपिबद्ध करना।
- (3) सदस्यों से सदस्यता शुल्क प्राप्त कर रसीद देना।

11. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से किया जायेगा।

12. संस्था का कोष :

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त बैंक, डाकघर में संस्था के नाम खाता खोलकर जमा होगा जिसका संचालन प्रबन्धक कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

13. संस्था लेखा परीक्षण :

संस्था के समस्त आय-व्यय को लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र की समाप्ति पर संस्था द्वारा नियुक्त किसी योग्य ऑडिटर द्वारा कराया जायेगा।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व :

संस्था की अदालती कार्यवाही का संचालन संस्था के प्रबन्धक/सचिव उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

15. संस्था के अभिलेख : 1. सदस्यता रजिस्टर, 2. कार्यवाही रजिस्टर, 3. एजेण्डा रजिस्टर, 4. कैशबुक व लेजर

16. विघटन :

संस्था के विघटन और विघटित विवादित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा, 13 एवं 14 के अन्तर्गत ही की जायेगी।

17. अन्य नियम : प्रतिबन्ध

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण करा जायेगा।

PRINCIPAL
Lord Buddha National Public School
Sarai Bika, Jaunpur

Manager
Lord Buddha National Public School
Sarai Bika, Jaunpur

3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशनल, नई दिल्ली/कौंसिल फार दी इन्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इकजांमिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
5. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।
6. कर्मचारियों की सेवाशर्तें बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओं में रखा जायेगा।
9. उक्त प्रतिबन्ध क्र०सं० 1 से 8 तक बिना शासन के अनुमति से परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

(सत्य प्रतिलिपि)

दिनांक

हस्ताक्षर

21/12/2015

सत्य प्रतिलिपि

किशन

Principal

सारा

Principal
Jawahar Manday Vidyalaya
Te...

Principal
कन्द्रीय विद्यालय
Kendriya Vidyalaya
सी.आर.पी.एफ. इलाहाबाद
CRPF, Allahabad

PRINCIPAL

Lord Buddha National Public School
Sara Bika, Jaunpur

Manager

Lord Buddha National Public School
Sara Bika, Jaunpur